



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1943 (श०)

(सं० पटना 218) पटना, शुक्रवार, 26 मार्च 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 मार्च 2021

एस० ओ० 86, दिनांक 26 मार्च 2021— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 110, दिनांक 06 मई 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267, दिनांक 06 मई 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्—
उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी, शब्द “एक सौ करोड़ रुप्ये” के स्थान पर शब्द “पचास करोड़ रुप्ये” प्रतिरक्षापित किये जायेंगे।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-11) 786]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 मार्च 2021

एस० ओ० 86, दिनांक 26 मार्च 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-11) 786]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 26th March 2021

S.O. 86, Dated 26th March 2021—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar , on the recommendations of the Council, here by makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110, dated the 06th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 267, dated the 06th May, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of April, 2021, for the words “one hundred crore rupees”, the words “fifty crore rupees” shall be substituted.

[File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 786]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 218-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>